Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान में बाल तस्करी के विधिक पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कृतिका राणावत*

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – 'प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान राज्य में बाल तस्करी की ज्वलंत समस्या और उससे जुड़े विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करता है। राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक–आर्थिक विषमताओं के कारण बाल तस्करी के लिए 'स्रोत' और 'गंतव्य' दोनों के रूप में उभर रहा है। यह अध्ययन भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता (BNS), और बाल संरक्षण से संबंधित विशिष्ट अधिनियमों के आलोक में तस्करी के विरुद्ध विधिक ढांचे की प्रभावशीलता की जांच करता है। शोध में हालिया आंकड़ों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समस्या की गहराई को समझने और इसे रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।'

शब्द कुंजी – बाल तस्करी, राजस्थान, भारतीय न्याय संहिता, विधिक प्रावधान, बाल श्रम, पुनर्वास।

प्रस्तावना – बाल तस्करी आधुनिक युग का एक घृणित अपराध है जो बच्चों के बचपन, शिक्षा और गरिमा को छीन लेता है। राजस्थान में बाल तस्करी का स्वरूप अत्यंत जटिल है, जहाँ बच्चों को मुख्य रूप से चूड़ी निर्माण, ईंट भट्टों, कृषि कार्यों और घरेलू गुलामी के लिए तस्करी किया जाता है। बाल तस्करी मानवता के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो इक्कीसवीं सदी के सभ्य समाज के दावों को खोखला सिद्ध करता है। यह केवल एक अपराध नहीं बल्कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है जो एक मासूम बच्चे से उसके खेलने–कूदने की उम्र, शिक्षा का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन लेता है। राजस्थान जैसे राज्य में इस समस्या का स्वरूप अत्यंत जटिल और चिंताजनक है। भौगोलिक दृष्टि से विशाल और आर्थिक रूप से विविध होने के कारण यहाँ बाल तस्करी के कई रूप देखने को मिलते हैं। राज्य के ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों की तंग गलियों तक फैले अवैध उद्योगों में बच्चों का शोषण एक कड़वी सच्चाई है। विशेष रूप से जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में चूड़ी निर्माण के कारखानों में छोटे–छोटे बच्चों को खतरनाक रसायनों और भयंकर गर्मी के बीच घंटों काम कराया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में स्थित ईंट भट्टों और कृषि क्षेत्रों में भी बच्चों को बंधुआ मजदूर के रूप में झोंक दिया जाता है। इस अपराध के पीछे छिपे सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। राजस्थान के कई सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में आज भी अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। जब माता–पिता के पास आजीविका के साधन नहीं होते तो तस्कर उन्हें बेहतर जीवन या अग्रिम धन का प्रलोभन देकर उनके बच्चों को ले जाते हैं। अशिक्षा इस समस्या की जड़ को और गहरा कर देती है क्योंकि ग्रामीण परिवारों को तस्करी के कानूनी परिणामों और अपने बच्चों के साथ होने वाले संभावित दुर्व्यवहार का अंदाजा नहीं होता। इसके अलावा जागरूकता का अभाव तस्करी के संगठित तंत्र को फलने–फूलने का मौका देता है। बिचौलिए अक्सर परिवार के परिचित या रिश्तेदार बनकर विश्वास जीतते हैं और फिर बच्चों को घरेलू गुलामी या यौन शोषण के दलदल में धकेल देते हैं।

विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का संविधान और विभिन्न कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता तथा किशोर न्याय अधिनियम तस्करी के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद तेईस स्पष्ट रूप से मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर प्रवर्तन एजेंसियों के सामने भारी चुनौतियां मौजूद हैं। राजस्थान की लंबी अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं तस्करों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करती हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के पास अक्सर इस संगठित अपराध से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों और विशेष प्रशिक्षण की कमी होती है। कई बार स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार या राजनीतिक संरक्षण के कारण भी अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। तस्करी के मामलों में गवाहों का मुकर जाना और कानूनी प्रक्रियाओं में अत्यधिक विलंब होना भी न्याय की राह में बड़ी बाधा है।

राजस्थान में बाल तस्करी को केवल कानूनी सख्ती से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी हो। बच्चों के पुनर्वास के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना होगा ताकि मुक्त कराए गए बच्चे दोबारा उसी चक्र में न फंसें। शिक्षा को सुलभ बनाना और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना ही इस समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है। जब तक हर बच्चे के पास कलम और किताब होगी, तब तक तस्करों के प्रलोभन विफल होते रहेंगे। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ समाज का हर नागरिक जागरूक हो और किसी भी बच्चे को खतरे में देखकर तुरंत आवाज उठाए।

विधिक प्रावधान – बाल तस्करी को रोकने के लिए भारतीय विधिक ढांचा बहुआयामी है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रमुख विधि प्रभावी हैं:

1. **संवैधानिक प्रावधान–** भारतीय संविधान के अंतर्गत बाल तस्करी और शोषण के विरुद्ध दिए गए ये प्रावधान देश के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ बचपन सुरक्षित हो और बच्चों का शारीरिक या मानसिक शोषण न किया जा सके।

अनुच्छेद 23 केवल बालकों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह स्पष्ट रूप से 'मानव तस्करी' और 'बेगार' (बिना पारिश्रमिक के जबरन काम कराना) को दंडनीय अपराध घोषित करता है। तस्करी के संदर्भ में इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे की खरीद-फरोख्त गुलामी या अनैतिक कार्यों के लिए नहीं की जा सकती। राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ बंधुआ मजदूरी के मामले सामने आते हैं, वहाँ यह अनुच्छेद प्रशासन को अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की शक्ति देता है।

वहीं अनुच्छेद 24 विशेष रूप से बाल श्रम के उन्मूलन पर केंद्रित है। यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी भी 'परिसंकटमय' नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के चूड़ी उद्योग, ईंट भट्टों और कालीन बुनाई जैसे कार्यों को खतरनाक श्रेणियों में गिना जाता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि बच्चों का स्थान कारखानों के धुएं और रसायनों के बीच नहीं, बल्कि स्कूल की कक्षाओं में होना चाहिए।

इन संवैधानिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए ही आगे चलकर 'बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम' और 'पॉक्सो' (POSCO) जैसे विशेष कानून बनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लंघन होने पर राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह न केवल बच्चों को मुक्त कराए, बल्कि उनके शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए व्यापक पुनर्वास की व्यवस्था भी करे।

2. **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023–** भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 का आगमन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन है। इसने औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर वर्तमान समय की चुनौतियों, विशेषकर संगठित अपराध और बाल तस्करी के विरुद्ध कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया है।

धारा 143 (तस्करी): BNS की धारा 143 व्यापक रूप से मानव तस्करी को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का शोषण के उद्देश्य से भर्ती करना, परिवहन करना, आश्रय देना या प्राप्त करना अपराध है। यहाँ 'शोषण' शब्द में शारीरिक शोषण, दासता, जबरन श्रम और अंगों को निकालने जैसे कृत्य शामिल हैं। यदि तस्करी एक से अधिक बार की जाती है या इसमें लोक सेवक शामिल होते हैं, तो सजा और भी कठोर हो जाती है।

धारा 144 (बच्चों की तस्करी): यह धारा विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को समर्पित है। कानून यह मानता है कि बच्चों की तस्करी एक जघन्यतम अपराध है क्योंकि वे अपनी रक्षा करने में अक्षम होते हैं। धारा 144 के तहत, यदि किसी बच्चे की तस्करी की जाती है, तो अपराधी को कम से कम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास (जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल है) तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही, भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

IPC और BNS में प्रमुख अंतर– जहाँ IPC की धारा 370 मुख्य रूप से तस्करी पर केंद्रित थी, वहीं BNS की इन धाराओं ने दंड प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ अंतर-राज्यीय गिरोह सक्रिय हैं, BNS की धारा 143 और 144 पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह नया कानून न केवल अपराधियों को दंडित करने की बात करता है, बल्कि यह निवारक के रूप में भी कार्य करता है ताकि भविष्य में बच्चों के बचपन का सौदा करने से पहले अपराधी सौ बार सोचें।

3. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015–** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, जिसे संक्षिप्त में JJ Act भी कहा जाता है, भारत में तस्करी और शोषण के शिकार बच्चों के लिए 'मैग्ना कार्टा' की तरह है। जहाँ भारतीय न्याय संहिता (BNS) अपराधियों को सजा देने पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं यह अधिनियम पूरी तरह से पीड़ित बच्चों के देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के प्रति समर्पित है।

इस अधिनियम के अंतर्गत दो अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक तंत्र कार्य करते हैं:

1. **बाल कल्याण समिति (**Child Welfare Committee CWC**)–** यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे प्रत्येक जिले में स्थापित करना अनिवार्य है। जब भी पुलिस या कोई एनजीओ किसी बच्चे को तस्करी से मुक्त कराता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति बच्चे की सुरक्षा के लिए तत्काल निर्णय लेती है, जैसे उसे शेल्टर होम भेजना, उसके परिवार की तलाश करना या उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना। कानून की दृष्टि में CWC बच्चे की 'अभिभावक' के रूप में कार्य करती है।

2. **किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board - JJB)–** यह बोर्ड उन मामलों को देखता है जहाँ अपराध में शामिल 'विधि विरुद्ध बालक' (Children in conflict with law) होते हैं। कई बार तस्कर स्वयं किशोरों का उपयोग तस्करी के नेटवर्क में करते हैं। JJB यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे बच्चों के साथ अपराधियों जैसा नहीं, बल्कि सुधार की दृष्टि से व्यवहार किया जाए।

पुनर्वास के प्रमुख पहलू: यह अधिनियम केवल बच्चे को मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'व्यक्तिगत देखभाल योजना' की बात करता है। इसमें बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना और उसे समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए 'आफ्टर केयर' सेवाओं का प्रावधान है। राजस्थान में 'बाल अधिकारिता विभाग' इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

इस अधिनियम का सबसे सशक्त पहलू यह

4. **बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016–** बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, भारत में बच्चों के बचपन को बचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस संशोधन ने 1986 के पुराने कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए बाल श्रम की परिभाषा और उसके दायरे को अत्यंत कड़ा कर दिया है।

इस अधिनियम के प्रमुख विधिक पहलू निम्नलिखित हैं:

1. **पूर्ण प्रतिबंध (14 वर्ष से कम आयु)–** इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी

प्रकार के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। पुराने कानून में केवल 'खतरनाक' उद्योगों में ही काम करने की मनाही थी, लेकिन अब किसी भी व्यवसाय, चाहे वह ढाबा हो, घरेलू काम हो या छोटा कारखाना, बच्चों को काम पर रखना गैर-कानूनी है।

2. **किशोर की नई श्रेणी-** अधिनियम ने 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'किशोर' शब्द का प्रयोग किया है। कानून के अनुसार, किशोरों को केवल गैर-खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें परिसंकटमय व्यवसायों जैसे खानों, ज्वलनशील पदार्थों या भारी उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता।

3. **पारिवारिक उद्यम का अपवाद-** अधिनियम में एक विशेष प्रावधान है कि बच्चा स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान अपने श्पारिवारिक उद्यमश में मदद कर सकता है, बशर्ते वह कार्य खतरनाक न हो। हालांकि, राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ पारिवारिक व्यवसायों (जैसे कालीन बुनाई या हस्तशिल्प) की आड़ में अक्सर बच्चों का शोषण किया जाता है, वहाँ इस प्रावधान की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है।

4. **कड़े दंड का प्रावधान-** इस कानून के तहत नियोक्ता के खिलाफ सजा को बहुत सख्त कर दिया गया है। पहली बार अपराध करने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल और 20,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि वही व्यक्ति दोबारा अपराध करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से 1 से 3 वर्ष की जेल की सजा दी जाती है।

5. **बाल श्रम पुनर्वास निधि-** अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में एक 'बाल श्रम पुनर्वास निधि' बनाने का प्रावधान है। अपराधी से वसूले गए जुर्माने की राशि इसी फंड में जमा की जाती है, जिसका उपयोग मुक्त कराए गए बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाता है।

राजस्थान में इस कानून का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ कृषि और लघु उद्योगों में बच्चों की भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। यह कानून न केवल तस्करी के बाद के शोषण को रोकता है, बल्कि बच्चों के लिए 'अनिवार्य शिक्षा' के मार्ग को भी प्रशस्त करता है।

5. **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA)-** अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, जिसे सामान्यत: ITPA के नाम से जाना जाता है, भारत में व्यावसायिक यौन शोषण और देह व्यापार के लिए की जाने वाली तस्करी को रोकने का सबसे पुराना और प्रमुख विधिक हथियार है। राजस्थान जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में, जहाँ मानव तस्करी के गिरोह अक्सर सक्रिय रहते हैं, इस कानून की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस अधिनियम के मुख्य कानूनी बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. **व्यावसायिक यौन शोषण पर प्रहार-** ITPA का प्राथमिक उद्देश्य वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले बिचौलियों, दलालों और कोठा संचालकों पर लगाम कसना है। यह कानून 'व्यावसायिक यौन शोषण' के लिए किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की तस्करी को एक गंभीर और संज्ञेय अपराध मानता है।

2. **बच्चों के लिए कठोर दंड-** इस अधिनियम के तहत यदि पीड़ित एक 'बालक' (16 वर्ष से कम) या 'किशोर' (16-18 वर्ष) है, तो अपराधियों के लिए सजा बहुत अधिक सख्त है। बच्चों के यौन शोषण के मामलों में अपराधियों को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों की सहमति का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है उनका यौन शोषण हर स्थिति में अपराध है।

3. **दलाली और सार्वजनिक स्थानों पर निषेध-** यह कानून वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवित रहने (धारा 4), वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने या दलाली करने (धारा 5), और सार्वजनिक स्थानों के आसपास (जैसे स्कूल, मंदिर या अस्पताल) अनैतिक कार्य करने को प्रतिबंधित करता है। यह पुलिस को बिना वारंट के उन परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार देता है जहाँ बच्चों या महिलाओं को बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना हो।

4. **सुरक्षात्मक गृह -** अधिनियम के तहत केवल सजा का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि पीड़ितों के संरक्षण की भी व्यवस्था है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर, तस्करी से बचाई गई लड़कियों और बच्चों को श्प्रोटेक्टिव होम्सश में भेजा जाता है जहाँ उनके रहने, चिकित्सा और कानूनी सहायता का प्रबंध किया जाता है।

5. **राजस्थान में प्रासंगिकता-** राजस्थान में अवैध देह व्यापार के कई 'हॉटस्पॉट' चिह्नित हैं जहाँ अक्सर पुलिस द्वारा 'रेड' (छापेमारी) की जाती है। ITPA के तहत की गई यह कार्यवाही तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद करती है। हालांकि, आधुनिक समय में इस कानून को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें सुधार की चर्चा भी होती रहती है ताकि ऑनलाइन माध्यमों से होने वाली तस्करी को भी इसके दायरे में प्रभावी ढंग से लाया जा सके।

सांख्यिकीय विश्लेषण रू राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार:

1. राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और धौलपुर जैसे जिले बाल तस्करी के संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित हैं।
2. वर्ष 2022-23 की रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में रेस्क्यू किए गए बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो पुलिस की सक्रियता और अपराध की व्यापकता दोनों को दर्शाती है।
3. हजारों बच्चे पड़ोसी राज्यों (जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश) से जयपुर के चूड़ी उद्योग में काम करने के लिए लाए जाते हैं।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय :

1. **दिनेश बनाम राजस्थान राज्य (AIR 2006 SC 1267)-** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तस्करी या शोषण के शिकार बच्चों की पहचान को गुप्त रखना अनिवार्य है ताकि उनका सामाजिक पुनर्वास बाधित न हो।

2. **विशाल जीत बनाम भारत संघ (AIR 1990 SC 1412)-** न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बाल वेश्यावृत्ति और तस्करी को रोकने के लिए पुनर्वास गृहों की स्थापना की जाए।

3. **पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023 - सुप्रीम कोर्ट)-** हाल ही में न्यायालय ने बाल तस्करी के मामलों में त्वरित सुनवाई और अभियुक्तों को आसानी से जमानत न देने के सख्त निर्देश दिए हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव - राजस्थान में बाल तस्करी के विरुद्ध विधिक ढांचा तो मजबूत है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में विसंगतियां हैं। केवल कानूनों के माध्यम से इस सामाजिक बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक समाज में गरीबी और शिक्षा की कमी जैसे मूल कारणों पर प्रहार नहीं होगा, तस्करी के नेटवर्क सक्रिय रहेंगे। राजस्थान पुलिस की 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट' (AHTU) सराहनीय कार्य कर रही है, परंतु उन्हें और अधिक संसाधनों और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1. **ग्राम स्तर पर निगरानी:** ग्राम पंचायतों को बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से सक्रिय किया जाना चाहिए।
2. **सीमा सुरक्षा:** पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
3. **पुनर्वास पर जोर:** केवल बच्चों को मुक्त कराना पर्याप्त नहीं हैय उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. **जागरूकता अभियान:** 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' जैसे अभियानों को व्यापक स्तर पर चलाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बाजपेयी, ए. (2017). भारत में बाल अधिकार: कानून, नीति और व्यवहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. सक्सेना, एस. (2021). मानव तस्करी: भारतीय परिप्रेक्ष्य। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
3. राजस्थान पुलिस अकादमी। (2022). रक्षिण: बाल संरक्षण में पुलिस की भूमिका। राजस्थान सरकार।
4. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)। (2023). भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। गृह मंत्रालय।
5. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 (भारत का नया दाण्डिक कानून)।
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
7. गुप्ता, ए. के. (2019). बाल अपराध और कानून। यूनिवर्सिटी लॉ पब्लिशिंग।
8. अग्रवाल, एच. ओ. (2020). मानवाधिकार (23वां संस्करण)। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स। (यह पुस्तक मानव तस्करी के अंतरराष्ट्रीय और संवैधानिक पहलुओं को विस्तार से समझाती है)।
9. मजूमदार, बी. (2018). ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन: इंडिया एंड बियॉन्ड। सेज पब्लिकेशन्स।
10. तिवारी, आर. के. (2021). भारत में बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम: एक कानूनी विश्लेषण। रावत पब्लिकेशन्स (जयपुर)।
11. यूनीसेफ (UNICEF) इंडिया। (2022). राजस्थान में बाल संरक्षण तंत्र पर रिपोर्ट। यूनीसेफ राजस्थान कार्यालय।
12. मिश्रा, एल. (2016). चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. शर्मा, पी. डी. (2018). पुलिस एवं मानवाधिकार: राजस्थान के विशेष संदर्भ में। पंचशील प्रकाशन।
14. कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन। (2023). भारत में बाल तस्करी: रुझान और चुनौतियाँ (वार्षिक रिपोर्ट)।
15. सरकार, एस. (2017). द लॉ ऑफ क्राइम्स। ओरिएंट ब्लैकस्वॉन। (इसमें विशेष रूप से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की व्याख्या दी गई है)।
16. जैन, एम. पी. (2022). भारतीय संवैधानिक विधि (8वां संस्करण)। लेक्सिस नेक्सिस। (अनुच्छेद 23 और 24 की विस्तृत व्याख्या हेतु)।

****